समक्ष मान्नीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा

R. 5068-दो/15

टिकट उपलब्ध नहीं है

423
23.9.15

संतोष कुमार मिश्रा तनय रामनारायण मिश्रा, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम खोढ़मानी, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) ———निगरानीकर्ता

बनाम्

मानिक चन्द्र तनय मोहनलाल, सा0 मढ़वा धनावल थाना हलिया, तहसील लालगांव, जिला मिर्जापुर (उ0प्र0) ———गैरनिगरानीकर्ता

श्री रमाकान्त वर्मा द्वारा आज दिनांक 23-9-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्र0 40ए 12/2014—15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10/07/15। निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं—

1— यह कि आवेदक मौजा खोढ़मानी स्थित आराजी नं0 169/2 रकवा 4 ए0 का अभिलिखित भूमि स्वामी, जिस भूमि में आवेदक काबिज दखील होकर कास्त करता है।

2— यह कि आवेदक की भूमि से लगी पश्चित तरफ आराजी खसरा क्र0 57 है, जो पूर्व में मोहनलाल के नाम से दर्ज है, जिसका अंश रकवा 1 ए0 आवेदक की लगी भूमि की तरफ रेस्पाडेन्ट को उक्त भूमि के भूमिस्वामी द्वारा बिक्री कर दी गई है, जिसका नया नम्बर 57/3/क/4 दर्ज हो रहा है। उक्त अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन आवेदक की गैर जानकारी में कराया गया, आवेदक को किसी प्रकार की सूचना इत्यादि जारी नहीं की गई, जिससे अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन सरहद्दी कास्तकारों को सूचित न किये जाने के कारण निरस्त योग्य है।

3— यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जैसा कि विधि में प्रावधान हैं कि समस्त सरहद्दी कास्तकारों

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5068/दो/15 ..... जिला ..... रीवा

स्थान तथा दिनांक	~~[illegible]~~ संतोष मिश्रा कार्यवाही तथा आदेश मानिकचन्द	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-15	आवेदक अधिवक्ता श्री रमाकान्त पटेल उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 40/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 10-7-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से बताया गया कि आवेदक भूमि सर्वे क्रमांक 169/2 रकबा 4 एकड़ का भूमि स्वामी है। आवेदक की भूमि से लगी हुई अना० की भूमि क्रमांक 57 है जो मोहनलाल के नाम से दर्ज है जिसका अंश रकबा 1 एकड़ अनावेदक द्वारा क्रय कर लिया गया है जिसका नया नम्बर 57/3/क/4 दर्ज हो रहा है। अना० द्वारा क्रय किये गये अंश रकबा एक एकड़ का सीमांकन आवेदक की अनुपस्थिति में कराया गया है जिसके संबंध में आवेदक को सूचना आदि नहीं दी गई है और न ही कोई सूचना पत्र ही जारी किया गया है। सरहदी कृषकों को भी सूचना नहीं दी गई। आवेदक अधि० द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 2013 में जब सीमांकन कराया गया था तब आवेदक की भूमि का कुछ भाग अना० की भूमि क्र० 57 में पाया गया था। उक्त दोनों भूमियां आपस में मिली	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	संतोष मिश्रा मानिकचंद कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हुई है। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर, विचार में लिया जा रहा है। प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10-7-15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा पूर्व में वर्ष 2013 में किये गये सीमांकन कार्यवाही की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई, का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि पूर्व में आवेदक के आवेदन पर दिनांक 2-2-12 को सीमांकन की कार्यवाही की जाना पाया गया है जिसकी पुष्टि दिनांक 22-2-13 को नायब तहसीलदार द्वारा की गई है जिसके विरुद्ध कोई निगरानी आदि प्रस्तुत नहीं हुई है। वर्तमान सीमांकन संबंधी अभिलेख का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया इसके अतिरिक्त सूचना पत्र दिनांक 25-5-15 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि सूचना का प्रकाशन इश्तहार (आम सूचना) के रूप में जारी की गई है, जबकि सरहदी कृषकों को पटवारी अभिलेख के मान से व्यक्तिगत रूप से जारी की जाना चाहिए थी। इसके अतिरिक्त फील्ड बुक में भी यह अंकित नहीं है कि सीमांकन हेतु सीमाचिन्ह किसे माना गया है। पटवारी द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 7-7-15 का अवलोकन करने पर पाया गया कि सीमांकन प्रतिवेदन में कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया सीमांकन के लिये सीमाचिन्ह किसे माना गया जहां से सीमांकन प्रारंभ किया गया।	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

3

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 5068/दो/15 जिला रीवा

संतोष मिश्रा मानिकचन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राजस्व निरीक्षक के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10-7-15 का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदित भूमि के सीमांकन हेतु पैमाइशी उपकरणों की सहायता से बन्दोबस्ती सीमा मेंड़ से चल कर सीमांकन कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है यह बन्दोबस्ती मेंड़ किस सर्वे क्रमांक की थी तथा उसका बन्दोबस्ती सीमा मेंड़ माने जाने का आधार क्या है कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक की आपत्ति का निराकरण भी यह अंकित कर किया गया है कि यह सीमांकन सर्वे क्र० 57 का किया गया है जो अनावेदक का है आवेदक आपत्तिकर्ता चाहे तो अपने सर्वे क्रमांक का सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र है, आपत्ति निरस्त कर दी गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्व सीमांकन के अभिलेखों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक का आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 10-7-15 संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे पूर्व सीमांकन आदेश दिनांक 22-2-13 एवं वर्तमान सीमांकन दिनांक 10-7-15 का मौके की स्थिति के अनुसार मिलान करें एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में सरहदी कृषकों को	

[क्र. प. उ.

R.5068/IV/15 1

संतोष मिश्रा मानिकचन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सूचना देकर विधिवत बन्दोबस्ती स्थाई सीमा चिन्ह को मानक आधार मान कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें, सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण होने तक उक्त सीमांकन की पुष्टि आदेश दिनांक 10-7-15 प्रभावहीन घोषित की जाती है। नवीन सीमांकन आदेश होने पर यह स्वतः निरस्त हो जावेगी। निर्देशानुसार समय सीमा में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की जावे। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.